न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 02/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वगताराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी सारणें का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. हुकमाराम पुत्र दुर्गाराम 2. अणसीदेवी पत्नि मोटाराम 3. जोगाराम पुत्र मोटाराम 4. रामाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. देवाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी जरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी 6. केसाराम पुत्र वालाराम 7. लालाराम पुत्र वालाराम 8. पेमाराम पुत्र भूराराम 9. तुलसी पत्नि बाबूलाल 10. गिरधारी पुत्र भूराराम 11. गैरों पत्नि नैनाराम 12. गवरी पत्नि खेताराम 13. दुर्गाराम पुत्र भैराराम 14. पदमाराम पुत्र राजूराम 15. पूनमाराम पुत्र खीयाराम 16. मगी पुत्री उदाराम 17. मीरों पत्नि खीयाराम 18. रम्भा पुत्री उदाराम 19. सोनाराम पुत्र राजूराम 20. हीराराम पुत्र खेताराम 21. अचलाराम पुत्र खेताराम 22. उमाराम पुत्र खीयाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

23. जमनादेवी पत्नि मूलाराम
24. बालाराम पुत्र पदमाराम
25. बींजाराम पुत्र पदमाराम
26. उमाराम पुत्र पदमाराम
27. तीजां पत्नि पदमाराम
28. शिवजीराम पुत्र पुरखाराम
29. हेराजराम पुत्र पुरखाराम
30. शेराराम पुत्र देरामाराम उर्फ देदाराम
31. हडमानराम पुत्र देरामाराम
32. अणदूदेवी पुत्री पोकराराम
33. रूखमोंदेवी पत्नि पोकराराम
34. रूपोंदेवी पत्नि पोकरराम
35. सुरताराम पुत्र कोहलाराम
36. गवरी पत्नि भारताराम
37. देवाराम पुत्र भारताराम
38. प्रहलादराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
39. प्रधानाचार्य रा.प्रा.वि. सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
40. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम
41. वेहनाराम पुत्र दुर्गाराम
42. हरखाराम पुत्र दुर्गाराम
43. हीराराम पुत्र दुर्गाराम
44. हीरो पत्नि दुर्गाराम
45. गूमनाराम पुत्र खेताराम
46. हरजीराम पुत्र खेताराम
47. चुतराराम पुत्र आसूराम
48. मंगलाराम पुत्र आसूराम
49. सिणगारी पत्नि आसूराम
50. पूनमाराम पुत्र निम्बाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

51. पुराराम पुत्र निम्बाराम

52. चुन्नी पत्नि नीम्बाराम

53. जगूराम पुत्र शेराराम

54. जीयाराम पुत्र शेराराम

55. मुकनाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सारणों का तला होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

56. मेहराराम पुत्र पन्नाराम

57. रूपाराम पुत्र पन्नाराम

58. रामाराम पुत्र पन्नाराम

59. पारू पत्नि पन्नाराम जाति जाट निवासी पोटलियों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

60. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री कैलाश नारायण सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 12.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र हाडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

...7 रकबा 8.3570 हैक्टेयर बीघा तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू ...ले सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 1913 रकबा 2.4108 हैक्टेयर के चारो तरफ ...के नेखम रथापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी